कार्यालय, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/प्रा/पंविप/प्र.परी./प्रीडी.एल.एड./दि.नि./2019 दिनांकः 20/04/19

जिला नोडल अधिकारी,
प्री डी.एल.एड. परीक्षा, 2019 एवं
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
समस्त

विषयः– प्री डी.एल.एड. परीक्षा, 2019 हेतु पोर्टल के माध्यम से केन्द्राधीक्षक, अति. केन्द्राधीक्षक एवं प्राधिकृत अधिकारी निर्धारण बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्री डी.एल.एड. परीक्षा, 2019 के लिए आप द्वारा पोर्टल के माध्यम से केन्द्र निर्धारण किया जा चुका है। अतः निर्देशित किया जाता है कि सह नोडल अधिकारी, प्रभारी अधिकारी एवं सम्बन्धित कार्मिकों (कम्प्यूटर ऑपरेटर सहित) की तत्काल आवश्यक बैठक कर निर्धारित पोर्टल पर केन्द्रवार केन्द्राधीक्षकों, अतिरिक्त केन्द्राधीक्षकों तथा प्राधिकृत अधिकारियों का निर्धारण कर सम्बन्धित सूचनाओं का ऑनलाइन इन्द्राज जरिये पोर्टल करें। पोर्टल के लिए सम्बन्धित वैबसाइट (http://www.bstc2019.org) के होम पेज में जाकर केन्द्र निर्धारण के दौरान आपको आवण्टित लॉगिन आई.डी. एवं पासवर्ड के जरिये ही सूचनाओं की मैपिंग करनी है।

इस कार्य को गम्भीरता से लिया जावे तथा सौंपी गयी जिम्मेदारी को त्वरित अंजाम देते हुए **केन्द्राधीक्षक, अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक एवं प्राधिकृत अधिकारी निर्धारण कर पोर्टल पर मैंपिग की कार्यवाही** हर सूरत में दिनांकः 23.04.2019 को सायं काल 6 बजे तक **सम्पन्न करें।** अन्तिम निर्धारण के बाद लॉक कर प्रिन्ट ले लें तथा उक्त सूचनाओं की हस्ताक्षरित प्रति समन्वयक को जरिये मेल (panjiyakpredeled2019@gmail.com) भेजना भी सुनिश्चित करें।

केन्द्राधीक्षक, अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक एवं प्राधिकृत अधिकारी निर्धारण के विषय में स्पष्ट दिशा निर्देश संलग्न हैं।

संलग्नः उपर्युक्तानुसार।

(ओम प्रकाश कसेरा)
आई.ए.एस.
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं
पं.राज.(प्रा.शि.) विभाग,
राजस्थान, बीकानेर

www.rajteachers.com

क्रमांकः शिविरा/प्रा/पंविप/प्र.परी./प्रीडी.एल.एड./दि.नि./2019 दिनांकः 20/04/19

प्रतिलिपिः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर
4. निदेशक, मा.शि., राजस्थान, बीकानेर
5. सह जिला नोडल अधिकारी एवं प्रधानाचार्य, डाईट, समस्त

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं
पं.राज.(प्रा.शि) विभाग,
राजस्थान, बीकानेर

केन्द्राधीक्षक एवं अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक की नियुक्ति हेतु दिशा निर्देश

सम्बन्धित केन्द्र पर दिनांकः 26.05.2019 (रविवार) को आयोज्य प्री डी.एल.एड. परीक्षा, 2019 के संचालन में केन्द्राधीक्षक केन्द्र स्तरीय टीम का नेतृत्व करेंगे। वे अपने केन्द्र पर समुचित पर्यवेक्षण,, निरीक्षण, प्रबोधन एवं नियन्त्रण के लिए जवाबदेह होंगे। उनका दायित्व रहेगा कि वे अपने केन्द्र पर परीक्षा व्यवस्था में गोपनीयता, विश्वनीयता, अनुशासन, शुचिता एवं पवित्रता बनाये रखें। केन्द्राधीक्षक प्राधिकृत अधिकारियों, जिला पर्यवेक्षण दल, सम्भाग पर्यवेक्षण दल, जिला नोडल अधिकारी एवं सह जिला नोडल अधिकारी द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों की पालना करेंगे तथा पर्यवेक्षण के दौरान उनका सहयोग करेंगे।

परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राधीक्षक एवं अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक की नियुक्तिः—

- परीक्षा केन्द्र यदि राजकीय संस्था/संस्थान है, तो केन्द्राधीक्षक उसी संस्था/संस्थान के संस्था प्रधान को बनाया जायेगा।
- यदि परीक्षा केन्द्र गैर राजकीय संस्था/संस्थान है, तो उस केन्द्र पर स्कूल शिक्षा विभाग से प्रधानाचार्य अथवा समकक्ष या प्रधानाध्यापक स्तर के राजपत्रित अधिकारी को केन्द्राधीक्षक नियुक्त किया जायेगा तथा उसी संस्था/संस्थान के संस्थाप्रधान अथवा उनके द्वारा प्रस्तावित एक वरिष्ठतम फैकल्टी सदस्य को अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक नियुक्त किया जा सकेगा।
- प्रत्येक केन्द्र पर यथा सम्भव एक ही केन्द्राधीक्षक नियुक्त होगा।
- यदि किसी केन्द्र पर पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या 504 से अधिक होती है, तो वहाँ अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक की नियुक्ति की जावेगी।
- निजी संस्था/संस्थान में परीक्षा केन्द्र होने पर वहाँ पहले से ही उस संस्था से एक अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक नियुक्त हैं, अतः अन्य अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं होगी।
- केन्द्राधीक्षक नियुक्ति करते समय यह सुनिश्चित कर लें कि पूर्व में किसी सार्वजनिक परीक्षा के दौरान परीक्षा व्यवस्थाओं को लेकर दण्डित अथवा चार्जशीटेड अधिकारी को केन्द्राधीक्षक नियुक्त नहीं किया जाना है।
- जिलान्तर्गत कार्यरत प्रधानाचार्यों एवं प्रधानाध्यापकों एवं समकक्ष अन्य राजपत्रित अधिकारियों का एक पैनल तैयार कर केन्द्राधीक्षक लगाने हेतु श्रेष्ठतम अधिकारियों का चयन किया जावे।
- केन्द्रों पर यथा सम्भव ऐसे अधिकारियों को प्राथमिकता से केन्द्राधीक्षक लगावें, जिन्हें उन केन्द्रों के विषय में पूर्व से पर्याप्त जानकारी हो।
- केन्द्राधीक्षकों की नियुक्ति पर सुव्यवस्थित परीक्षा संचालन निर्भर करेगा अतः टीम से पारस्परिक सलाह मशविरा कर ही नियुक्ति करें।

प्राधिकृत अधिकारियों की नियुक्ति हेतु दिशा निर्देश

परीक्षा केन्द्रों को ओ.एम.आर. शीट्स, प्रश्न पत्र पुस्तिका एवं परीक्षा सामग्री पहुँचाने व इसी प्रकार परीक्षा सम्पन्न होने के उपरान्त पुनः संकलन करने तथा परीक्षा के दौरान उडनदस्ते का काम करने के लिए अधिकृत अधिकारी **'प्राधिकृत अधिकारी'** कहलायेंगे।

- जिले में उपलब्ध शिक्षा अधिकारियों (जि.शि.अ., मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, अति.मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ए.डी.पी.सी., सहायक निदेशक एवं अन्य समकक्ष अधिकारियों) को जिला नोडल अधिकारी द्वारा **'प्राधिकृत अधिकारी'** नियुक्त किया जायेगा।
- प्राधिकृत अधिकारियों को यथा सम्भव उचित अनुपात में परीक्षा केन्द्र आवण्टित किये जायेंगे।
- केन्द्र आवण्टन प्रति प्राधिकृत अधिकारी न्यूनतम 05 परीक्षा केन्द्र होगा तथा अधिकतम प्रशासनिक व्यवस्था पर तथा नोडल अधिकारी के विवेक पर निर्भर होगा।
- जिला नोडल अधिकारी केन्द्रों की भौगोलिक दूरियों एवं सक्षम अधिकारी के प्रशासनिक अनुभव दृष्टिगत रखते हुए अधिक केन्द्र आवण्टन कर सकेंगे।
- परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण में जिला मुख्यालय के अलावा यदि ब्लॉक्स का चयन करना पड़े तो सम्बन्धित ब्लॉक के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अथवा उपलब्ध वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी ही प्राधिकृत अधिकारी होंगे।

निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा

www.rajteachers.com